कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी (छत्तीसगढ़)

आदेश

(अंतर्गत 144 दंड प्रकिया संहिता)

क्रमॉक 3057/क/एस.डब्लू/2020 धमतरी दिनॉक 22 मार्च 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID19) एक संक्रामक बीमारी है । जो विश्व के विभीन्न देशो में कुछ ही हफ्तो में महामारी का रूप ले रही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हिदायत दी जाती है कि कोरोना वायरस (COVID19)) के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहे । छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे ।

2/ उपरोक्त कारणो से मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला धमतरी में आने वाले समस्त ग्रामो एवं नगरीय निकायो की सीमाओ के भीतर दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियो का एक साथ सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा रहना निषेधित करना आवश्यक हो गया है, ताकि मानव जीवन की रक्षा एवं स्वास्थ्य तथा क्षेत्र के लिए उत्पन्न खतरे का नियंत्रण एवं निवारण किया जा सकें ।

3/ अतः मै रजत बंसल, जिला दंडाधिकारी धमतरी, दंड प्रक्रिया संहिता1973 की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए निम्न आदेश पारित करता हूँ :–

जिला धमतरी के समस्त ग्राम एवं नगरीय निकायो की सीमाओ के भीतर पॉच व्यक्ति से अधिक एक जगह में एकत्रित नही होंगे ।

बैंक, मेडिकल स्टोर किराना दुकान एवं राशन दुकानो में भी एक समय पर पॉच से अधिक व्यक्ति नही रहेंगे ।

सार्वजनिक रूप से शादी ब्याह का आयोजन भी नही किया जावेगा ।

4/ यह आदेश मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत धमतरी जिले के समस्त ग्राम एवं नगरीय निकायो की संपूर्ण सीमाओ में यथा स्थिति जन साधारण पर लागू माना जावेगा , परंतु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियो पर लागू नही होगा । यह आदेश जन साधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण प्रत्येक जन साधारण पर तामील किया जाना संभव नही है । अतः आदेश द. प्र.सं.144 की उप धारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । चूंकि यह आदेश उन व्यक्तियो पर, जिसके विरूद्व यह आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामिली सम्यक प्रकार से किया जाना संभव नही है अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है ।

5/ यह आदेश दिनॉक 22 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित आज दिनॉक 22 मार्च 2020 को पारित किया गया है ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला धमतरी (छ.ग.)

(रजत बंसल)
जिला दंडाधिकारी
धमतरी

Scanned by CamScanner

पृ.क्र. 3058/एस.डब्लू./2020 धमतरी दिनॉक मार्च 2020

प्रतिलिपिः

1 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवारायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवारायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

3 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन नवारायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

4 आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

5 पुलिस अधीक्षक धमतरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी को सूचनार्थ ।

7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

8 आयुक्त नगरपालिक निगम धमतरी

9 अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी/कुरूद/नगरी को सूचनार्थ उपरोक्तानुसार आदेश का पालन अपने कार्यक्षेत्र में सुनिश्चित करें ।

10 मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत आमदी/कुरूद/मगरलोड/भखारा/नगरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

11 उप संचालक जन संपर्क जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं प्रेस नोट जारी करने अग्रेषित.

जिला दंडाधिकारी
धमतरी

Scanned by CamScanner